सं. 14(11)/2014-डीपीई/वीआरएस/एफटीएस-7433
भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांकः 20 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी एस एस) पर समेकित दिशानिर्देश।

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी एस एस) से संबंधित दिनांक 5 अक्टूबर, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(36)/86-बीपीई (डब्ल्यूसी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को दिनांक 5 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(32)/97-डीपीई (डब्ल्यूसी)- जी एल –XXII, दिनांक 6 नवम्बर, 2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(32)/97-डीपीई (डब्ल्यूसी)- जी एल –LVI तथा दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(21)/01-डीपीई (डब्ल्यूसी)- जी एल –XII के तहत संशोधित किया गया था, इन्हें अब समेकित कर दिया गया है जो निम्नानुसार हैं :

2. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम जो वित्तीय रुप से मजबूत हैं तथा स्वयं के अपने सरप्लस संसाधनों से वी आर एस स्कीम चला सकते हैं, वे वर्तमान वी आर एस को विभिन्न स्वरुपों में तैयार एवं कार्यान्वित कर सकते हैं। तथापि, किसी भी मामले में प्रतिपूर्ति राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिनों के वेतन के बराबर अथवा सेवा के शेष बचे माह के वेतन के तुल्य, इनमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। वी आर एस के उद्देश्य से वेतन में केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के अलावा अन्य कोई घटक शामिल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सीमांत लाभ/ घाटा उठाने वाले और साथ ही रुग्ण और अव्यवहार्य इकाइयों के मामले में, यदि सीपीएसई का प्रबंधन ऐसी इच्छा रखता है तो, कर्मचारियों को वी आर एस का गुजरात पैटर्न अथवा भारी उद्योग विभाग पैटर्न (वी एस एस) का विकल्प उपलब्ध होगा।

3. <u>गुजरात पैटर्न</u>

(i) प्रतिपूर्ति के रुप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिनों तथा अधिवर्षिता तक सेवा के शेष प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों का वेतन दिया जाएगा। प्रतिपूर्ति की राशि न्यूनतम 25,000/- रुपए अथवा 250 दिनों के वेतन, इसमें से जो भी अधिक हो, के बराबर होगी। तथापि, यह प्रतिपूर्ति राशि कर्मचारी

द्वारा अधिवर्षिता तक शेष बची सेवा की अवधि में मौजूदा स्तर पर आहरित किए जाने वाले वेतन से अधिक नहीं होगी।

4. डीएचआई पैटर्न

(i) कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दिनों के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के तुल्य अनुग्रही भुगतान अथवा सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियों और सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख तक सेवा के शेष बचे महीनों के गुणनफल के तुल्य राशि,इनमे जो भी कम हो ,प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ii) कम से कम 30 वर्षों की सेवा पूरी कर लेने वाले कर्मचारी प्रतिपूर्ति के रूप में ,अधिकतम 60 (साठ) माह के वेतन/ मजदूरी के तुल्य राशि पाने के पात्र होंगे । परतुं यह राशि सेवा की शेष अवधि के वेतन/ मजदूरी (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन / मजदूरी की दर पर) से अधिक नहीं होगी ।

5. तथापि ,कर्मचारियों को पेशकश की तारीख से 3 माह के भीतर वीएसएस के लिए विकल्प देना होगा और ऐसा न किए जाने पर वे केवल छंटनी संबंधी प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे ।

6. 1.1.1987 और 1.1.1992 स्तरों पर वेतनमानों वाले कर्मचारियों के संबंध में अनुग्रही भुगतान को,मौजूदा स्कीम के अनुसार उनके वर्तमान वेतनमान पर परिकलित करते हुए क्रमश: 100% और 50% तक बढाया जाएगा ।

7. 1.1.1986 स्तर पर वेतनमानों के केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पैटर्न का अनुपालन करने वाले सीपीएसईज में कर्मचारियों के संबंध में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अतंर्गत अनुग्रही राशि का भुगतान जिसे वीआरएस की मौजूदा स्कीम के अनुसार उनके वर्तमान वेतनमानों पर परिकलित किया गया है ,में 50% की वृद्धि की जाएगी ।

8. रूग्ण / घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को समयबद्ध तरीके से बंद करने तथा चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के बारे में का.ज्ञा.सं.डीपीई /5(1)/2014-वित्त (भाग –I दिनांक 14.6.2018) द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के संशोधित दिशानिर्देश पैरा 4.1.2 (कर्मचारियों की देयताओं का आकलन) के तहत यह निर्धारित करते हैं कि कर्मचारियों को रिलीज करने के लिए वीआरएस/वीएसएस पैकेज को 2007 नोशनल वेतनमान पर तैयार किया जाएगा चाहे सीपीएसई किसी भी वेतनमान पर कार्य कर रहे हों ।

9. वीआरएस /वीएसएस नीति के अंतर्गत अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :

i. वीआरएस के उद्देश्य से वेतन में केवल मूल वेतन और मंहगाई भत्ता को शामिल किया जाएगा।

ii. देय राशि का परिकलन करते समय संशोधन इत्यादि के कारण मजदूरी बकाए को शामिल नहीं किया जाएगा ।

iii. बोनस का भुगतान, बोनस अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुसार होना चाहिए: आकस्मिक छुट्टी का नकदीकरण वीआरएस की तारीख तक आनुपातिक किया जा सकता है।

iv. गुजरात प्रणाली के अंतर्गत वीआरएस/वीएसएस के लिए वेतन की गणना एक माह में 26 दिन के बजाय 30 दिन के आधार पर होगी। इसके परिणामस्वरूप वीआरएस और वीएसएस के लिए अनुग्रह राशि की गणना की पद्धति भी इसी के समान होगी।

v. वीआरएस/वीएसएस के तहत क्षतिपूर्ति राशि सेवा समाप्ति लाभों के अतिरिक्त होगी।

10. सरकारी शेयर भागीदारी वाली औद्योगिक सहकारी समितियों के कर्मचारी, जो सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं, वे भी वीआरएस के तहत शामिल होंगे।

11. कम लाभ या घाटा उठाने वाले उद्यमों और रुग्ण उद्यमों को वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए उस स्थिति में बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, यदि उनके पास बैंक क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। सामान्यतया ये राशियां वित्त वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध कराई जाएंगी। तथापि, अव्यवहार्य/ रुग्ण सीपीएसईज़ के मामले में बजटीय सहायता प्राप्त करने से पहले वीआरएस/ वीएसएस के वित्त पोषण के लिए परिसम्पत्तियों के प्रत्याभूतिकरण और सरकारी गारंटी के एवज में बैंक ऋणों जैसे वित्त पोषण के अन्य स्रोतों के बारे में पूरी तरह से पता लगाया जाना चाहिए।

12. वीआरएस, स्थायी कर्मचारियों, बदली कर्मचारियों, कार्यभारित स्थापना और अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होगी लेकिन आकस्मिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। वीआरएस के कारण होने वाली रिक्तियों के एवज में कोई नियुक्ति नहीं होगी।

13. एक बार जब कोई कर्मचारी सीपीएसई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसे अन्य सीपीएसई में रोजगार लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह ऐसा करना चाहता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई वीआरएस प्रतिपूर्ति राशि को संबंधित सीपीएसई में वापस लौटाना होगा। उस स्थिति में जब प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सरकारी अनुदान से किया गया है तो संबंधित सीपीएसई, लौटाई गई राशि को सरकार को जमा करवाएगी। यदि सीपीएसई पहले ही बंद/ उसका विलयन हो गया है तो वीआरएस प्रतिपूर्ति राशि सीधे रूप से सरकार को लौटाई जाएगी।

14. यह, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय का उत्तरदायित्व होगा कि वह वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को लाभप्रद स्व-रोजगार चलाने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करे।

15. वीआरएस स्कीम के क्रियान्वयन में प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुख्यतः उन कर्मचारियों को दी जाए, जिनकी सेवाएं निरस्त करने से कंपनी को कोई नुकसान न हो। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च कौशल वाले और योग्य कर्मचारियों एवं स्टाफ को यह विकल्प नहीं दिया जाए। चूंकि वीआरएस के कारण होने वाली रिक्तियों के एवज में कोई नियुक्ति नहीं होगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संगठन प्रतिभाओं से वंचित न हो। सीपीएसईज़ के प्रबंधन वीआरएस की शुरुआत अपने निदेशक मंडल एवं प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से करेंगे।

16. प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों से, वीआरएस एवं वीएसएस योजना का विस्तृत विवरण अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों के ध्यान में लाने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि सरकारी उद्यम इन योजनाओं का क्रियान्वयन कड़ाई पूर्वक निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही करें।

अमित रस्तोगी 20/7/18

(अमित रस्तोगी)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के सचिव।

प्रतिः

1. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सीएमडी/मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के सभी वित्तीय सलाहकार।
3. सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, विनिवेश एवं लोक परिसम्पत्ति विभाग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. सचिव, लोक उद्यम चयन बोर्ड, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
6. विशेष सचिव, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप भवन, नई दिल्ली।
7. भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, एजीसीआर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110002.

अमित रस्तोगी 20/7/18

(अमित रस्तोगी)
उप सचिव, भारत सरकार